प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

दिनांक–04.11.2022 को एकेडमिक कांउसिल की बैठक में लिये गये निर्णयः–

1) स्नात्तकोत्तर अध्ययन अंतर्गत औषधि विभाग में Echocardiography, Holter, Color Doppler इत्यादि को GeM से क्रय हेतु डा0 रामाकांत प्रसाद, सह–प्राध्यापक, औषधि विभाग को विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया गया। पुनः प्राचार्य द्वारा निदेश दिया गया कि डा0 प्रसाद तीन सदस्यीय कमिटी बनाकर GeM से क्रय करने की प्रक्रिया सम्पादित करेंगें। यह कार्य PG Fund से किया जायेगा।

2) केन्द्रीय पुस्तकालय में Journal के List के Approval एवं पूर्व कि उपलब्धता के आधार पर मांग करने पर सहमति बनी।

3) मेडिसीन विभाग में छात्रों के पठन–पाठन हेतु कुर्सी–टेबुल, Audio visual Aids इत्यादि की आपूर्ति मांग के अनुरूप GeM से करने पर सहमति बनी।

4) Orthopedics विभाग के विभागाध्यक्ष हेतु तत्काल किए गये निर्णय Rotation of headship के तहत डा0 राकेश कुमार, सह–प्राध्यापक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को तत्कालिक प्रभाव से अगले एक वर्ष वर्षो के लिए विभागाध्यक्ष हड्डी रोग विभाग के रूप मे नामित किया गया है। पुनः इस संदर्भ में मेडिसीन और सर्जरी विभाग हेतु अगली बैठक में निर्णय लिया जायेगा।

5) श्रीमती सुनिता देवी, मरीज जो तत्काल किडनी रोग से गंभिर रूप से ग्रसित है, के संबंध में संज्ञान लेते हुए एकेडमिक कांउसिल के सभी सदस्यों की सहमति से मेडिसीन विभागाध्यक्ष को तत्काल एक कमिटि बनाकर उक्त मरीज के संबंध में अद्यतन स्थिति से प्रत्येक 06 धंटे पर प्राचार्य एवं अधीक्षक को अवगत कराते रहने हेतु निर्णय लिया गया।

6) श्री अरविंद कुमार, भूतपूर्व लेखापाल, रोगी कल्याण समिति, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर के रोकड़पंजी अद्यतन के मुद्दे पर सभी सदस्यों का एक मत से निर्णय हुआ कि उक्त के संदर्भ में अधीक्षक एवं प्राचार्य महोदय वस्तु स्थिति से आयुक्त तिरहुत प्रमंडल को उनके अध्यक्षता में आयोजित रोगी कल्याण समिति के बैठक मे अवगत कराते हुए दिशा निर्देश प्राप्त करेंगे।

7) Ventilator Assistant एवं Biomedical Engineer के संविदा अवधि विस्तार हेतु सभी सदस्यों की सहमति से डेंगु एवं Covid के नये Variant के मद्देनजर तत्काल Dec 2022 तक अवधि विस्तार देने का निर्णय लिया गया। पुनः उनके पूर्व के बकाया भुगतान हेतु आवंटन की मांग NRHM राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना से की जायेगी। अधीक्षक के अनुपालनार्थ।

8) संस्थान के विभागाध्यक्षों एवं पदाधिकारी/लेखा कर्मचारियों द्वारा महत्वपूर्ण वित्तीय डाटा संग्राहित किया जाता है। उक्त क्रम में कॉलेज से प्राप्त Laptop एवं अन्य आवश्यक Data उपकरण को अपने सुविधानुसार उक्त उपकरणों के वित्त विभाग के नियमानुसार Depreciation प्रति वर्ष होता रहता है। अतः अगर उक्त Laptop को लौटाने के समय वर्त्तमान बाजार मूल्य से Buyback का Option खुला रहेगा। जिस सुविधा का उपयोग अपने जरूरत के हिसाब से संबंधित पदाधिकारी ले सकेंगें। इस सुविधा से Data Leak होने से बचा जा सकेगा।

9) Nursing Care के संबंध में अधीक्षक महोदय अपने स्तर से monitoring कर सभी ANM/GNM इत्यादि की Posting करेंगे तथा इस बात को सुनिश्चित करा लेंगें कि सभी अपने कर्त्तव्यों का निर्बहन जवाबदेही के साथ करें।

10) प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा VC में प्राप्त निर्देश के आलोक में मुख्य द्वार का निर्माण एवं जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण करने पर सहमति बनी।

11) सभी हॉस्टल के वार्डेन उनके हॉस्टल में अनाधिकृत रूप से उपस्थित व्यक्तियों की सूची तत्काल प्राचार्य को समर्पित करेंगे। ताकि ससमय उचित कार्रवाई की जा सकें।

ह0/–

प्राचार्य

ज्ञापांकः– 733/22 दिनांकः– 05-11-22

प्रतिलिपिः–

1) अधीक्षक/उपाधीक्षक श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

2) सभी विभागाध्यक्ष/प्रभारी प्राध्यापक (प्रशासन)/बरसर/लेखापाल, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

3) कॉलेज बेवसाईट।

विश्वासभाजन

5/11/22

प्राचार्य,

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,

मुजफ्फरपुर।

Vied 5/11/22